1377/R/ANA 73/NA/4/11
28/2/11 24-2-2011

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या– 60 /नौ–9–2011–65ज/09
लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2011

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2,सन 1959) की धारा 540की उप–धारा(2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2,सन् 1916)की धारा 300 की उप–धारा(1) के अधीन यथा अपेक्षित आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या–768/नौ–9–2010–65ज/2009 दिनॉक 13मई 2010 में उत्तर प्रदेश नगर पालिका(सूचना का लोक प्रकटीकरण) नियमावली,2010 प्रकाशित की गयी थी ;

और चूँकि नियत समय के भीतर इस सम्बन्ध में कोई आपत्तियॉ अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2,सन 1959) की धारा 114,540 और 573–ख तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2,सन् 1916) की धारा 7,296 और 332–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल किसी नगर पालिका द्वारा नगर शासन के विभिन्न तथ्यों से संबन्धित सूचना के प्रकटीकरण को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

AN.A
NA

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ	1.(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण)नियमावली,2010 कही जायेगी।
	(2)	यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों,नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।
	(3)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।

spuo

परिभाषाएं

2.(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,इस निमयावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर निगमों के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 और नगर परिषद अथवा नगर पंचायत के मामले में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 से है।

(ख) "लोक प्रकटीकरण" का तात्पर्य नगर शासन के विभिन्न तथ्यों अर्थात नियम–3 में यथाउल्लिखित कार्मिक,प्रशासनिक संरचना का विवरण,वित्त–व्यवस्था और कार्यों से संबंधित किसी नगर पालिका द्वारा सूचना के प्रकटीकरण से है।

(ग) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमशः अधिनियम या भारत के संविधान में समनुदेशित हैं।

नगर पालिका का दायित्व

3. प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा 573–ख की उपधारा(1) अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 की धारा 332–क की उप–धारा (1) में उल्लिखित किया–कलापों के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित प्ररूपों में अपना अभिलेख अनुरक्षित करेगी और त्रैमासिक अंतरालों पर अपेक्षित सूचना के प्रकटीकरण के लिए उक्त धाराओं में उपबंधित रीति से उन्हें प्रकाशित करेगी।

आज्ञा से,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव।

संख्या– 60 (1)नौ–9–11 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग,लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अधिसूचना को सरकारी गजट उ0प्र0 असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 13.01.11 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 500 प्रतियॉ शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या– (2)नौ–9–11 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)

आज्ञा से,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।

spuo